



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पत्रक भाग - एक
संक्षिप्त कार्य विवरण

षष्ठम् विधान सभा

अष्टम् सत्र

अंक-2

नवा रायपुर अटल नगर, मंगलवार, दिनांक 24 फरवरी, 2026

(फाल्गुन 5, शक संवत् 1947)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

1. निधन का उल्लेख

माननीय सभापति ने श्री दीनदयाल सिंह पोर्ते, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किया ।

श्री विष्णुदेव साय, मुख्यमंत्री, डॉ.चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये।

पश्चात् सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत को श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्त परिवार के लिए संवेदना प्रकट की गई।

(दिवंगत के सम्मान में सदन की कार्यवाही 11.06 बजे स्थगित की जाकर 11.13 बजे समवेत हुई)

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

2. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01, 02, 03 पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

3. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- श्री विजय बघेल, सांसद लोक सभा अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं सदन की ओर से उनका स्वागत करता हूं।

4. प्रश्नकाल (क्रमशः)

प्रश्नकाल में पुनः चर्चा प्रारंभ होने पर तारांकित प्रश्न संख्या- 04, 05 (कुल 05) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये ।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 66 तारांकित एवं 85 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 04 पर चर्चा के दौरान श्री दलेश्वर साहू, सदस्य द्वारा संबंधित दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने का अनुरोध करने पर माननीय सभापति ने निर्देश दिए कि विधान सभा को पूर्व सूचना दिए बगैर एवं आसंदी की अनुमति के बिना कोई भी दस्तावेज सदन के पटल पर नहीं रखे जा सकते ।

5. सदन को सूचना

माननीय सभापति ने सदन की सहमति से घोषणा की कि - आज भोजन अवकाश नहीं होगा। भोजन की व्यवस्था माननीय श्री ओ.पी.चौधरी, वित्त मंत्री की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लॉबी कक्ष में, पत्रकारों के लिए प्रथम तल में तथा विधान सभा सचिवालय के अधिकारी-कर्मचारी, स्टाफ एवं अन्य संबंधितों हेतु निर्धारित स्थल पर की गई है। कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें।

माननीय सभापति ने सदन को अवगत कराया कि - वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक का उपस्थापन आज मध्याह्न 12.30 बजे माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा किया जाएगा ।

(12.01 बजे सदन की कार्यवाही स्थगित की जाकर 12.30 बजे समवेत हुई)

(सभापति महोदय (श्री धर्मजीत सिंह) पीठासीन हुए)

6. वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक का उपस्थापन

श्री ओ.पी. चौधरी, वित्त मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक का उपस्थापन किया ।

7. अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि

माननीय सभापति ने सदन को सूचित किया कि- श्री बृजमोहन अग्रवाल एवं श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, सांसद लोक सभा अध्यक्षीय दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं सदन की ओर से उनका स्वागत करता हूँ।

8. वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक का उपस्थापन (क्रमशः)

माननीय सभापति ने दिनांक 26 एवं 27 फरवरी, 2026 की तिथियां आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के लिए नियत की ।

माननीय सभापति द्वारा घोषणा की गई कि- आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों पर प्रस्तुत किये जाने वाले कटौती प्रस्तावों की सूचना बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2026 को अपराह्न 12.30 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दी जा सकती है। कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के प्रपत्र सूचना कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(अपराह्न 2.18 बजे विधान सभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2026 (फाल्गुन 6, शक संवत् 1947) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा